भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1314
30 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि बाजार को मजबूत किया जाना

1314. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में कृषि बाजार को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प हेतु लाभकारी दृष्टिकोण योजना (आरकेवीवाई-रफ्तार), कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) और समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) के माध्यम से देश में कृषि बाजार / अवसंरचना को मजबूत करने में सक्रिय रूप से और लगातार लगी हुई है।

एआईएफ स्कीम में 2 करोड़ रूपए तक के ऋण पर ब्याज छूट के रूप में कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। सरकार कम्प्यूटर हार्डवेयर आईटी अवसंरचना, निर्धारण उपकरणों आदि के खर्चों को पूरा करने तथा सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं के साथ-साथ ई-नाम मंडियों में कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिए ई-नाम स्कीम के तहत एकबारगी 75 लाख रूपए प्रति मंडी की दर से सहायता प्रदान कर रही है।

(घ): कृषि मंडियों और मंडी अवसंरचना के विकास ने किसानों को कृषि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सहायता की है।

तीसरे अग्रिम अनुमान (**2020-21**) के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन **305.44** मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष **2019-20** के दौरान प्राप्त **297.50** मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में **7.94** मिलियन टन अधिक है।

******